भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

AB 128132

समझौता ज्ञापन (MOU)

Memorandum of understanding

1. पक्ष (Agency) :– यह समझौता ज्ञापन (Memorandum of understanding) जो कि बाद में MOU के रूप में सर्वविदित होगा इसमें आज दिनांक 12/07/21 दिवस सोमवार समय दोपहर 3 :00 से प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन पता गौशाला परिसर, महाराष्ट्र मंगलम् भवन के बाजू में जेवरा – सिरसा रोड आर्य नगर, कोहका, भिलाई (छ.ग.) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम – 1973 (क्रमांक –44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रेशन क्रमांक – 12220205870 दिनांक 03/02/2020 को पंजीकृत है। तथा द्वितीय पक्ष (Second Agency) भिलाई महिला महाविद्यालय पता हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई है।

2. उद्देश्य(Purpose) "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है" :–

(क) स्वास्थ्य :– नियमित योगाभ्यास द्वारा विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास कराना, उन्हें शारीरिक (Physical), मानसिक (Mental), बौद्धिक (Intelectual), आध्यात्मिक(Devotional), रूप से सुदृढ़ बनाना, शरीर – मन(Body-Mind) को नियंतित्रत करना। योग एंव प्राणायाम के नियमित अभ्यास से नकारात्मक विचारों(Negative Thinking) को समाप्त कर सकारात्मक विचारों(Positive Thinking) का प्रवाह सृजन करना।

(ख) शिक्षा (Education) :– नियमित योगाभ्यास द्वारा विद्यार्थियों के एकाग्रता क्षमता में वृद्धि करना, जिससे उनके बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। याददाश्त शक्ति (Memory Power) को चिर स्थायी बनाने हेतु प्रेरित करना, स्वस्थ व पौष्टिक आहार चर्या (Food Habbit) व आदर्श जीवन चर्या (Idel life Style) हेतु विद्यार्थियों को संकल्पित कराना ।

(ग)नशामुक्ति (Deaddiction) :– नियमित योगाभ्यास द्वारा देश व समाज में व्याप्त नशा का उन्मूलन किया जा सकता है, छागों को नशा के हानिकारक परिणाम बताना व योग से कैसे नशा मुक्त हो इसका अभ्यास कराना , जिससे एक स्वस्थ व नशा मुक्त समाज का निर्माण कराया जा सके।

(घ) योगशिक्षा का भविष्य एवं सम्भावनाएँ (Future and Possiblilites of Yoga Education) :–

1. विद्यार्थियों , युवाओं एवं जन सामान्य हेतु निश्चित समय सीमा (150 घंटे) का योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

12/07/2021

2. अन्तराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के प्रोटोकॉल योगाभ्यास का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

3. देश व अन्य देशों में स्थित योग के विभिन्न पाठ्यक्रम की जानकारी देना तथा राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर योग की मांग व रोजगार के अवसर हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।

<u>(3) समय सीमा (Term of MOU)</u> :– इस समझौता ज्ञापन (MOU) की निश्चित समय सीमा दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधीयों के द्वारा जिस दिन व जिस समय ज्ञापन पर समस्त गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर होंगे उसी समय से यह मान्य व प्रभावित होगा।

<u>(4) पक्षों के उत्तरदायीत्व (Responsibilities of Agencies)</u> :– दोनों पक्षों के द्वारा समझौता ज्ञापन (MOU) के अनुसार अपने–अपने उत्तरदायीत्व का निर्वहन निश्चित समय सीमा पर पूर्ण करना तथा प्रथम पक्ष द्वारा दी गयी सेवाओं के अनुरूप उन्हें द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित राशी व वांछनीय लाभ प्रदान करना।

<u>(5) सामान्य प्रावधान (General Provisions)</u> :–

(क) संशोधन **(Amendment)** यदि दोनों पक्षों को इस समझौता ज्ञापन (MOU) में कभी भी भविष्य में कोई परिवर्तन , सुधार या संसोधन करना आवश्यक हो तो दोनों पक्षों की आपसी सहमती से इसे सुधार किया जा सकता है तथा पुनः दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर कर इसे मान्य किया जा सकता है।

(ख) लागू होने योग्य कानून **(Applicable Law)** :– इस समझौता ज्ञापन (MOU) के सभी विधान (Construction) सभी व्याख्या (Interpritation) व सभी संपादन (Inforcement) का अधिकार राज्य छ0ग0 के न्यायालय ....दुर्ग.......... के अधीन होगा।

(ग) समझौता की समग्रता **(Entirety of Agreement)** :– इस समझौता ज्ञापन (MOU) की सम्पूर्णता कुल पेज संख्या ...तीन... है , जिसमें सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण (Presentation) व प्रावधान (Provision) निहित है , जो कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत व प्रभावी रूप से मान्य है।

(घ) पृथककरण **(Seperbility)** :– यदि भविष्य में इस समझौता ज्ञापन (MOU) के किसी भाग पर न्यायीक (Judicialy) रूप से असहमती बनती है या कोई भाग अनुचित सिद्ध होती है तो उस भाग को छोड़कर अन्य सभी भाग पूर्ववतः रहेंगे तथा कार्य निष्पादन जारी रहेगा।

(ड.) तृतीय पक्ष की भूमिका **(Rights of Third Party)** :– उक्त समझौता ज्ञापन (MOU) में जिन दो पक्षों के मध्य करार हुआ है उन दो पक्षों के अलावा किसी तीसरे पक्ष की कोई

Scanned with OKEN Scanner

भूमिका या अधिकार इस समझौता ज्ञापन (MOU) पर नहीं होगा तथा जिन दो पक्षों द्वारा यह ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है केवल उन्हीं दो पक्षों की ही सम्पूर्ण जवाबदेही व अधिकार होंगे।

(6) हस्ताक्षर (Signature) :– यह समझौता ज्ञापन (MOU) दोनों पक्षों के गवाहों के मध्य अधीकृत प्रतिनिधियों के द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर , समझ कर अपनी सहमती प्रदान करते हुए आज दिनांक....12/07/21....समय....दो.प.हे.....3 बजे....स्थान..भिलाई महिला महाविद्यालय....................पर हस्ताक्षर किया जा रहा है , जिससे यह समझौता ज्ञापन भविष्य में दोनों पक्षों के कार्यो में सहायक सिद्ध हो , दोनों पक्षों के हस्ताक्षर पश्चात् यह समझौता ज्ञापन (MOU) तत्काल मान्य व क्रियाशील होगा।

(7) पूर्व वर्ष में प्रशिक्षण हेतु सहयोग राशि 1100/- देय था परन्तु इस वर्ष IYA के foundation course of Yoga हेतु 250/- की राशि शामिल किया जा रहा है, जिससे कुल राशि प्रति छात्र 1350/- प्रदान करना होगा। यह सहयोग राशि छत्तीसगढ़ योग एसो. को देय होगी।

प्रथम पक्ष (First Agency) :–

छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन (छ.ग.)
रजि. नं. 12220205870

1. नाम – छत्तीसगढ़ योग ऐसोसिएशन
2. पता – गौशाला परिसर, महाराष्ट्र मंगलम् भवन के बाजू में जेवरा–सिरसा रोड आर्य नगर, कोहका, भिलाई(छ०ग०)
3. गवाह :– (क) शान्त भारती ...... महामंत्री (छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन)
   (ख) ....
   (ग) ....
   (घ) ....
   (ङ.) ....

द्वितीय पक्ष (Second Agency) :– 12/07/2021

1. नाम Dr. Sandhya Madan Mohan
2. पता Principal, Bhilai Mahila Mahavidyalaya Sector-IX, Bhilai
3. गवाह :– (क) (R.K. Sharma)
   (ख) (Dr. M.S. Pandit) HOD (B.Ed Deptt)
   (ग) ....
   (घ) ....
   (ङ.) ....

Scanned with OKEN Scanner

प्ररूप - दो
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

क्रमांक: 122201913775

संदर्भ क्रमांक: 4172233185

यह प्रमाणित किया जाता है स्वावलम्बी योग अकादमी एवं प्रशिक्षण केंद्र सोसायटी जो भवन स्वामी- शिशु पाल सिंह, म.क्र.-569, वार्ड क्र.-02, राजीव नगर, शिव नगर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001. तहसील Durg जिला Durg में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 10/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

एन. के. नारनवरे
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Date of Registration

Digitally signed by NARENDRA KUMAR NARNAWARE
Date: 2019.12.10 12:23:06 +05:30
Reason: For Issuing Registration of New Society
Location: State Society

Scanned with OKEN Scanner